

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2
संख्या- 3 /2022/2064099/2022
लखनऊ: दिनांक 15 मार्च,2022

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति (प्रथम संशोधन) 2021 अधिसूचना संख्या-8/2021/182/ अस्सी-2-2021-100(9)/2019, दिनांक 27.10.2021 की व्यवस्थानुसार प्रस्तर-6.2.1 (क्लस्टर सूची का विस्तार और संशोधन), 6.2.2 (क्लस्टर के निकट स्थापित की जाने वाली नवीन प्रसंस्करण इकाईयों के लिए निर्यात आधारित प्रोत्साहन का अनुमोदन) एवं 6.2.3.2 (कृषि उत्पादों व प्रसंस्कृत वस्तुओं पर निर्यात हेतु परिवहन अनुदान राशि का अनुमोदन) हेतु 'राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति' निम्नवत् गठित की जाती है:-

- | | |
|--|------------|
| 1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, 30प्र0 शासन | अध्यक्ष |
| 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, 30प्र0 शासन, द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर से अन्यून प्रतिनिधि | सदस्य |
| 3. विशेष सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2, 30प्र0 शासन | सदस्य |
| 4. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश | सदस्य |
| 5. क्लस्टर सूची में जोड़े जाने हेतु प्रस्तावित जिन्स व निर्यातित कृषि जिन्सों/उत्पादों से सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष (कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश /निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश/ निदेशक, मत्स्य/ महाप्रबन्धक , पी0सी0डी0एफ0) | सदस्य |
| 6. निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, 30प्र0 | सदस्य-सचिव |

डा0 देवेश चर्तुवेदी
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त सम्बन्धित सदस्यगण।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. गार्ड फाइल।

ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।